# ईएसआई अस्पतालों में डॉक्टरों व स्टाफ़ की भारी कमी

## इलाज के लिए मज़दूर दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर

**चंडीगढ़ (म.मो.)** हरियाणा में कुल आबादी का 20 प्रतिशत ईएसआई में कवर होता है। ईएसआई के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि साल-दर-साल ईएसआई में कवर होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। पर राज्य भर के ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों के साथ ही अन्य स्टाफ़ की भारी कमी लगातार बनी हुई है। इस वजह से ईएसआई कार्डधारकों और उनके आश्रितों का समुचित ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में अन्य मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों का जो अभाव है, वह तो है ही, पर डॉक्टरों और अन्य स्टाफ़ की भारी कमी के कारण मज़दूरों को इन अस्पतालों में इलाज कराने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि हर माह उनके वेतन से एक निश्चित राशि ईएसआई के नाम पर काट ली जाती है।

'मज़दूर मोर्चा' ने गत पांच-छः वर्षों में ईएसआई में डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ़ की कमी व अन्य कुव्यवस्थाओं के बारे में दर्जनों तथ्यपरक रिपोर्टों का प्रकाशन किया, तब सरकार के कान पर थोड़ी-सी जूं रेंगी और तत्कालीन श्रममंत्री महेन्द्र प्रताप ने तत्कालीन श्रम वित्तायुक्त सुरीना राजन को मामले पर गौर करने के आदेश दिये। इसके फलस्वरूप सुरीना राजन स्वयं फ़रीदाबाद आईं और अस्पताल के डॉक्टरों व ईएसआई निगम के अधिकारियों की बैठक बुला कर सारे मामले को समझने का प्रयास किया था। इसे समझ कर वे कुछ कर पातीं, इससे पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन फ़िर भी वे जाते-जाते राज्य भर में 18 नयी डिस्पेंसरियां खोलने का मार्ग प्रशस्त कर गईं।

राज्य में ईएसआई अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों में तय मानकों के अनुसार कुल 626 डॉक्टरों, 1470 पैरा मेडिकल स्टाफ़, 520 क्लर्कों और 875 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 3491 पद रिक्त हैं। यद्यपि ये मानक जब निर्धारित किये गये थे तब ईएसआई कार्डधारकों की संख्या काफ़ी कम थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2004-05 में ईएसआई कार्डधारकों की संख्या जहां 431550 थी, अब 2011-12 में यह बढ़ कर करीब 11 लाख हो चुकी है जो कि वर्ष 2012-13 में 12 लाख का आंकड़ा पार कर जायेगी। ज़ाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में कार्डधारकों और उनके आश्रितों का इलाज समुचित ढंग से वर्तमान व्यवस्था के तहत नहीं हो सकता। ईएसआई के पूर्वनिर्धारित मानकों के अनुसार डॉक्टरों के 820 पद, पैरामेडिकल स्टाफ़ के 1890 पद, क्लर्कों के 690 पद और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 1390 पद होने चाहिए। पर अभी डॉक्टरों के 381, पैरामेडिकल स्टाफ़ के 797, क्लर्कों के 398 और चतुर्थ श्रेणी के 838 पद स्वीकृत हैं। पर वास्तव में कुल कार्यरत डॉक्टरों की संख्या 200 है और 620 डॉक्टरों की कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ कुल 400 हैं और 1500 की कमी है। क्लर्क 170 हैं और 520 क्लर्कों की कमी है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कुल 500 हैं और 900 की कमी है। अगर सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर देती है तो डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ़ के वेतन आदि पर कुल 124 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आयेगा। विदित है कि राज्य सरकार को इस रकम का मात्र साढ़े 12 प्रतिशत यानी कि साढ़े 15 करोड़ ही खर्च करना होगा। शेष राशि ईएसआई निगम देगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ईएसआई कारपोरेशन व 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद यह बात हरियाणा सरकार की समझ में नहीं आ रही। विडंबना तो यह है कि पैसा ईएसआई का खर्च होता है, पर बजट बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। पहले ईएसआई स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत था, अब श्रम विभाग के अंतर्गत है। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार ईएसआई का जो बजट बनाती है, उसका साढ़े 87 प्रतिशत ईएसआई कारपोरेशन खर्च करता है, राज्य सरकार के ज़िम्मे सिर्फ़ साढ़े बारह प्रतिशत खर्च करना है। अपने इसी योगदान को बचाने हेतु वह बजट ही कम राशि का बनाती है। इस वजह से कारपोरेशन भी स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना पैसा खर्च करना चाहता है, नहीं कर पाता। तमाम तरह की फ़िज़ूलखर्चियां करने वाली और मंत्रियों और नौकरशाहों की अय्याशी पर पैसे फूंकने वाली सरकार को मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में बचत करने की सूझती है, जबकि उसका तो कम से कम खर्च होना है, पर मूर्ख, बदनीयत और ग़रीबविरोधी सरकार को समझाये कौन?

हरियाणा सरकार की इस बदनीयती से ईएसआई कारपोरेशन भी परेशान है। यही कारण है कि उसने गुड़गांव के अस्पताल का पूरा ज़िम्मा अपने हाथों में ले लिया है। फ़रीदाबाद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का ज़िम्मा भी कारपोरेशन के ही हाथों में रहेगा। इसके संचालन में राज्य सरकार की कुछ चल नहीं पायेगी। पहले मंत्री और नेतागण यह सोच-सोच कर खूब खुश हो रहे थे कि मेडिकल कॉलेज बनने पर डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ़ की नियुक्तियों व खरीददारी से लेकर हर मामले में उनकी धौंस-पट्टी चलेगी। परंतु अब यह सब नहीं हो पायेगा।

हरियाणा सरकार के निकम्मेपन व ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते वर्ष 2009-10 में उन कार्डधारकों पर ईएसआई निगम को पांच करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा जिनका इलाज ईएसआई अस्पतालों में न होकर निजी अस्पतालों में कराया गया। 2010-11 में यह खर्च 35 करोड़ हो गया। 2011-12 (31 मार्च तक) में यह खर्च 75 करोड़ संभावित है। यह सारा खर्च निगम के खाते से होता है।

इसमें राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती। राज्य सरकार के इस रवैये से तंग आई ईएसआई निगम ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसके अनुसार अस्पताल में उपलब्ध कुल बिस्तरों के 70 प्रतिशत इस्तेमाल (आक्युपेंसी) होने पर 200 रुपया प्रति कार्डधारक के हिसाब से इन्सेंटिव दिया जायेगा। ज़ाहिर है, निगम को ऐसा प्रस्ताव इसलिए पास करना पड़ा कि अस्पतालों की उस कुव्यवस्था को सुधारे जिसके चलते कार्डधारक इन अस्पतालों में भर्ती होने के बजाय कहीं बाहर इलाज कराना बेहतर समझते हैं। पर राज्य सरकार की जो भूमिका ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की बेहतरी के लिए होनी चाहिए थी, वह सिरे से नज़र नहीं आती।

ऐसी हालत में एक ही विकल्प हो सकता है कि ईएसआई निगम स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन पूरी तरह से अपने हाथों में ले ले जिसमें डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ़ की नियुक्ति का अधिकार भी उसके हाथ में हो। राज्य सरकार अपने हिस्से का साढ़े 12 प्रतिशत अदा करे तो कर दे। अगर ऐसा होगा तो मज़दूरों को ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियों से अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाएं हासिल हो सकेंगी, अन्यथा राज्य सरकार कभी भी आवश्यक बजट बनायेगी ही नहीं। सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट और नालायकों के हाथों में है। इस भ्रष्ट सरकार को मज़दूर-हितों की जरा भी परवाह नहीं है। राज्य के श्रम मंत्री को सड़कों, दुकानों और पार्कों के उद्घाटन से ही फ़ुर्सत नहीं मिलती है। अपने आप को मज़दूरों का हितैषी बताने वाले श्रम मंत्री अपनी पहल पर स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते और अगर करना भी चाहें तो मुख्यमंत्री हुड्डा उन्हें करने दें तब न? उन्हें तो कुर्सी हुड्डा के आशीर्वाद से मिली है। जिस दिन वे हुड्डा की चापलूसी करना बंद कर दें, उसी दिन उनकी कुर्सी पर ख़तरा मंडराने लगेगा।

भूलना नहीं होगा कि ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मज़दूरों को कोई खैरात नहीं बांट रही है। न्यूनतम वेतन पाने वाले मज़दूर से ईएसआई सालाना 3200 रुपये तथा 15000 वेतन पाने वाले से 12000 रुपये झटक लेती है, पर बदले में मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में धक्के खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलता। आकस्मिक रूप से बीमार पड़ जाने पर मज़दूरों को निजी अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ता है और कर्ज लेकर अथवा किसी तरह पैसे का जुगाड़ कर डॉक्टरों की फ़ीस भरनी पड़ती है। ऐसी हालत में मज़दूर कब तक अपने सिर पर ईएसआई का बोझ ढोते रहेंगे? ईएसआई के नाम पर कब तक उनसे लूट जारी रहेगी? क्या सरकार इस सवाल का जवाब देगी?

### अधिकांश मज़दूरों को कटौती के बावजूद ईएसआई कार्ड नहीं

मज़दूरों के वेतन से ईएसआई मद में नियमित राशि कटौती करने के बावजूद अधिकांश कंपनियां उस राशि को हड़प लेती हैं और मज़दूरों को ईएसआई कार्ड जारी नहीं करतीं। नये भर्ती मज़दूरों के साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है। मज़दूर जब ईएसआई कार्ड की मांग करते हैं तो टाल-मटोल वाला रवैया अपनाया जाता है। यह देखा गया है कि दो साल से दस-दस साल तक काम कर रहे मज़दूरों को कंपनी ने ईएसआई कार्ड जारी नहीं किया, पर वेतन-स्लिप में ईएसआई मद में कटौती दिखाई है। ऐसा नहीं कि सभी कंपनियां यह करती हैं। बहुत कंपनियां ईएसआई का अपना हिसाब-किताब ठीक रखती हैं। पर कुछ कंपनियां यह गड़बड़झाला कर रही हैं और इस तरह से मज़दूरों को लूट रही हैं। नियम तो यह है कि मज़दूर के ड्यूटी ज्वाइन करते ही उसे ईएसआई कार्ड जारी करना चाहिए, भले ही वह ठेके का मज़दूर ही क्यों न हो। पर कंपनियों में भारी संख्या में ऐसे मज़दूर काम कर रहे हैं जिनके वेतन से ईएसआई के नाम पर कटौती तो की जा रही है, पर ईएसआई में उनका नाम दर्ज नहीं करवाया गया है। परिणामस्वरूप, ऐसे मज़दूरों के साथ कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें अपने खर्चे पर निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है। हां, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो प्रबंधन के हाथ-पांव फूलते हैं और वह पिछली तिथियों में उनका ईएसआई कार्ड बनवाता है जिसका उदाहरण अभी हाल में इंपीरियल ऑटो में हुई आगजनी में मिला जिसमें 9 मज़दूर मौत के मुंह में चले गये। ज़ाहिर है, ऐसा ईएसआई और कंपनी प्रबंधन की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। ऐसे मज़दूरों के शोषण में ईएसआई और कंपनी प्रबंधन बराबर की भागीदार है। बहरहाल, ऐसे मज़दूरों का व्यापक सर्वे कर उन्हें ईएसआई में शामिल किया जाये तो ईएसआई कार्डधारकों की संख्या अभी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी। पर सवाल है, यह करेगा कौन? यह काम जागरूक और संगठित मज़दूर ही कर सकते हैं।

## राज्य में शिक्षकों के हज़ारों पद खाली

# नियुक्तियां नहीं कर रही सरकार, कैसे होगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार?

**फ़रीदाबाद (म.मो.)** शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा करने वाली और गत दिनों राज्य के सबसे पिछड़े ज़िले मेवात में 'शिक्षा के हक' की ढपोरशंखी घोषणाएं करने वाली सरकार शिक्षकों के खाली पड़े हज़ारों पदों पर नियुक्तियां नहीं कर रही है। सवाल है कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो विद्यार्थियों को पढ़ायेगा कौन? उल्लेखनीय है कि राज्य में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पूरे शिक्षक हों। कहीं गणित के शिक्षक नहीं हैं तो कहीं विज्ञान के नहीं।

शिक्षकों के अभाव में कक्षायें खाली रहती हैं और बच्चे धमाचौकड़ी मचाते रहते हैं। शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने गेस्ट टीचरों की बहाली काफ़ी कम मानदेय पर की। कम मानदेय पर एक तो योग्य शिक्षक नहीं मिल सकते, पर जिन गेस्ट टीचरों को बहाल किया गया, उन्हें भी पढ़ाते हुए बरसों बीत गये। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए पर्याप्त संख्या में गेस्ट टीचरों की बहाली भी नहीं की गई और बच्चों को पढ़ाने का सारा बोझ उन पर ही डाल दिया गया। कुछ नियमित शिक्षक भी दादागिरी कर अपना काम गेस्ट टीचरों से ही करवाते रहे। सरकार ने इनका जम कर शोषण किया। इसके बावजूद गेस्ट टीचरों को यह उम्मीद थी कि सरकार उनकी सेवाओं को नियमित कर देगी। पर तीन बार पात्रता परीक्षा आयोजित करने के बाद जब सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की और न ही गेस्ट टीचरों को नियमित किया तो स्वाभाविक रूप से उनमें आक्रोश पैदा हुआ और अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वे मुख्यमंत्री आवास पर अपने प्रमाण-पत्रों की होली जलायेंगे।

इसके पूर्व भी राज्य भर के गेस्ट टीचरों ने नियमित बहाली के लिए मुख्यमंत्री के गृह ज़िले रोहतक में 2008 में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था जिसका पुलिस ने बर्बर दमन किया। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां और गोलियां तक चलाई जिसमें जींद की एक गेस्ट टीचर राजरानी ने गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब गेस्ट टीचर पहले से अधिक आक्रोशित हैं, क्योंकि उनका शोषण हर हद को पार कर गया है।

अब तक सरकार ने 2008, 2009 और 2011 में पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया है जिसमें बी.एड., डी.एड. डिग्रीधारियों के साथ गेस्ट टीचरों ने भी भाग लिया। यहां सवाल यह पैदा होता है कि नियमित बहाली के लिए जब गेस्ट टीचरों को भी पात्रता परीक्षा में शामिल होना जरूरी है तो इसका मतलब यह है कि अब तक ये विद्यार्थियों को पढ़ाने के पात्र नहीं हैं। फ़िर सरकार इनसे किस आधार पर विद्यार्थियों को पढ़वा रही है?

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों की बहाली के संबंध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है। उसका सारा कार्य तदर्थ आधार पर चल रहा है। ऐसे में सरकार अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करती है तो वह महज एक ढोंग और पाखंड ही है। सवाल यह भी पैदा होता है कि जब सरकार को शिक्षकों की बहाली करनी ही नहीं है तो वह पात्रता परीक्षाओं का नाटक क्यों कर रही है?

सरकार ने एक नहीं, तीन बार पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया है, पर बहाली एक भी शिक्षक की नहीं की है। फ़िर पात्रता परीक्षाएं लेने का औचित्य क्या है? भूलना नहीं होगा कि पात्रता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सरकार सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से 500 रुपये और अनुसूचित श्रेणी के अभ्यर्थी से 300 रुपये फ़ीस वसूलती है। इससे सरकार को प्रति परीक्षा करोड़ों रुपयों की आमदनी हो जाती है। क्या सरकार सिर्फ़ आमदनी करने के लिए पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करती है?

गत वर्ष शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त ने स्कूलों में शिक्षा-व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कुछ स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था और व्यवस्था की बदहाली को देख कर 'सन्न' हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने कहा था कि वे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधार कर रहेंगी। इससे एक उम्मीद जगी थी कि जब एक ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ उच्चाधिकारी ने व्यवस्था में सुधार का ज़िम्मा लिया है तो अवश्य सरकारी स्कूलों की दशा में बदलाव होगा और उनकी बदहाली दूर होगी। पर वास्तव में हुआ कुछ भी नहीं। शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त सुरीना राजन ने कहा था कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पर जब कमी नहीं थी तो इस ठंड में बच्चों को कक्षाओं में बैठने को टाट तक नसीब नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। यदि कमी नहीं है तो प्रत्येक स्कूल में अनेकों कक्षायें बिना अध्यापकों के क्यों चल रही हैं और आये दिन सरकार शिक्षकों के हजारों पद भरने की घोषणा क्यों करती है?

शेष पेज 2 पर

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06